2 अ०-19

पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं प्रतिपक्षगण के अधिवक्ता को बार-बार कक्ष-कक्ष कर आवाज दिलवायी गई परन्तु न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं हुए है अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण के मूल शुल्क लेखा शाखा से कमशः वापस बाद तकमील प्रतिवेदन लेख मय्यार हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner